उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या क0नि0-5-4031/11-2005-500(104)-2004
लखनऊ, दिनांक19 दिसम्बर,2008

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, और अधिसूचना संख्या क0नि0-5-2707/11-2005-500(104)/2004 दिनांक 15 जुलाई 2005 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 29 के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों द्वारा या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन गठित और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1976) के अधीन गठित किसी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा या कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन गठित और औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 100 प्रतिशत दृष्टिहीन/विकलांग व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित भवन या भू खण्ड के अन्तरण के लिए हस्तान्तरण की लिखत या पट्टा धृत अधिकारों का पूर्ण स्वामित्व अधिकारों की समपरिवर्तन की लिखत पर अनुच्छेद-23 के (खण्ड क) के अधीन प्रभार्य या अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा की लिखत पर आवंटिती दस लाख रूपये के मूल्य तक की अचल सम्पत्ति पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को माफ करते है। यदि ऐसी अचल सम्पत्ति का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक हो तो आवंटिती को ऐसी अचल सम्पत्ति के उस मूल्य पर जो दस लाख से अधिक हो, तीन प्रतिशत स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा।

परन्तु यह कि यदि आवंटिती दस वर्ष के भीतर 100 प्रतिशत दृष्टिहीन/विकलांग व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को आवंटिती सम्पत्ति का अन्तरण करता है तो क्रेता को प्रथम लिखत पर सन्देय पूर्ण स्टाम्प शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दृष्टहीनता /विकलांगता प्रमाण पत्र का परिशीलन कर सकता है। दृष्टहीनता/विकलांगता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में सन्देह की स्थिति में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये मूल पमाण पत्र की मांग कर सकता है और द परसन्स विद डिसएविल्टीज (इक्वल अपारचयूनिटीज, पोटेक्शन आफ राइट्स एण्ड फुल पार्टीसिपेसन) एक्ट1995 (एक्ट नम्बर 1 आफ 1996) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अद्यातन शासनादेशों के अधीन उसका परीक्षण कर सकता है।

आज्ञा से
(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव